मुख्य अभियंता –3 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

पत्रांकः– II/मु0अ0–3,त0स्वी0–07–96/23 4899 अ0प0 पटना दिनांकः– 4-9-23

प्रेषक,

मुख्य अभियंता–3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रमीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, **समस्तीपुर।**

विषयः– **शीर्ष राज्य योजना (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना) अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय के अधीन 04 अदद पुलों के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

प्रसंगः– आपका पत्रांक–1183 अनु0 दिनांक–29.08.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, **दलसिंहसराय** के अधीन स्वीकृत **पुलों** के प्राक्कलनों पर संलग्न प्रावैधिक टिप्पणी के आलोक में प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के साथ संलग्न प्रशिष्ट 'क' के **स्तम्भ 06** में अंकित है।

2. बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक–**4370 अनु0 दिनांक–10.08.2023** एवं पत्रांक–**4409 अनु0 दिनांक–14.08.2023** के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।
3. स्वीकृत प्राक्कलन की जॉच अधीक्षण अभियंता, अपने स्तर से कर लेगें यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो, तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
4. समर्पित किए गए तकनीकी स्वीकृति के लिए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर दी जाती है कि प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन की निरूपण की जॉच **एम0आई0टी0, मुजफ्फरपुर** द्वारा अनुमोदन की गई है। कार्य करते समय अगर कोई तकनीकी समस्या आती है तो संबंधित अभियंत्रण महाविघालय से सम्पर्क कर आवश्यक सुधार कर लें तथा कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पाइल का लोड टेस्ट अवश्य करा लें।
5. अधीक्षण अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पनी मुख्यालय को 5वीं तिथि को उपलबध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. प्राक्कलन की स्वीकृति दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
7. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, **समस्तीपुर** ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, कर दर अपने अंचल स्तर से राज्यस्तरीय, अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा अनुमोदित सामाग्रियों के दर के आधार पर MORD Data book analysis के आधार पर दर विश्लेषण करते हुए मुख्यालय को सूचित करेंगे। ताकि मुख्यालय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में उसका अनुमोदन का S.O.R तैयार करने की दिशा में कार्रवाई की जा सके।
8. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है।
9. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता प्राक्कलन में अन्तरविष्ट मात्रा एवं दर की सम्पुष्टि कर संतुष्टि के पश्चात अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।
10. **परिशिष्ट 'क' में क्रमांक संख्या–3 एवं 4 पर अंकित पुल के Drawing में GAD के Drawing एवं अन्य Substructure के Drawing में भिन्नता है। अतः कार्य करने से पूर्व STA, MIT मुजफ्फरपुर से सम्पर्क कर आवश्यक सुधार करते हुए पुनः पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारंभ की जाय।**

अनु0– स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

(ह0) 4/9/23
मुख्य अभियंता–3,पटना

ज्ञापांकः– 4899 पटना, दिनांकः– 4-9-23

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **दलसिंहसराय**/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(ह0) 4/9/23
मुख्य अभियंता–3,पटना

प्रावैधिक टिप्पणी

परियोजना का नाम :– परिशिष्ट ' क ' के स्तम्भ **3** के अनुसार

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंगः– परिशिष्ट ' क ' के स्तम्भ **5** के अनुसार

विवरणी

1. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट ' क' के स्तम्भ **6** में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. प्राक्कलन की भाशा संक्षिप्त ओर प्रतीकारत्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके। स्वीकृत प्राक्कलन की निरूपण की जॉच एन0आई0टी0 पटना द्वारा अनुमोदन की गई है।
4. कार्य करते समय अगर कोई तकनीकी समस्या आती है तो संबंधित अभियंत्रण महाविघालय से सम्पर्क कर आवश्यक सुधार कर लें। तदुनुसार कार्य करायेंगे।
5. कार्यारम्भ करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, **समस्तीपुर** की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वंय कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पुल/पुलिया कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकडा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवभयकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार प्रकार (Water ways) की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता होगी।
6. औपबंधि स्वीकृती की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगीः–

   प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
   अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य
7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रिसेक्सन निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. (A) पुल निर्माण में निम्नांकित कार्य है :–

   (I) फाउनडेशन
   (II) सबस्ट्रक्चर
   (III) सुपर–स्ट्रक्चर
   (IV) एपरोच रोड
   (V) प्रोटेक्शन वर्क
   (VI) डाइभर्जन
   (VII) विविध

   (B) पथ निर्माण के लिए निम्नांकित विशिष्टियां अपनायी गयी है :–

1	मिट्टी सेक्शन के अनुसार	2	जी0एस0बी0– 200 मी0मी0 संपीड़ित
3	डब्लु बी0एम0 ग्रेड–II& III -75 mm	4	मिक्स सिल सर्फेसिंग 20 एम0एम0
5		6	
7		8	

9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत संलग्न आड़ीकाट एवं लम्ब काट के आधार किया गया एवं आड़ीकाट में जमीन उपलब्ध है, इसे मानते हुए गणना की गयी है।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बॉंध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन में एम0ओ0एस0टी0 भारत सरकार के विशिष्टि का अनुसरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वयं निरीक्षण कर संतृश्ट हो लेंगे, तत्प"चात ही कस्ट कार्य कराने की स्वीकति देंगे।

13. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रैडियंट आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
15. अधीक्षण अभियंता सामग्रियों की ढुलाई के संदर्भ में वास्तविक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो लेंगे, तदोपरान्त ही निविदा संबंधी कार्रवाई की जाये।
16. निविदा आमंत्रण/निष्पादन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मार्गदर्भिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।
17. कार्य कितने ग्रुप में होगा, इसका अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
18. प्राक्कलन के अनुसार पथ की ऊंचाई कम न हो सके इसकी जिम्मेवादी कार्यपालक अभियंता, की होगी।
19. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य से किसी तरह से विभागीय नियमों का उल्लंघन न हो।
20. स्वीकृत कार्य के विरूद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसकी लागत कार्य की लागत से नियमानुकुल घटा ली जाये।
21. प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।
22. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय–सीमा के अनुरूप हो।
23. मिट्टी कार्य कराने के पूर्व अश्वस्त हो ले कि एफ0एल0 बाढ़ स्तर के अनुरूप हो।
24. गुणवत्ता की जांच विभाग के द्वारा गुण–नियंत्रण आई0आर0सी0 के विशेश प्रकाशन–।। के प्रावधान के अनुरूप किया जाये।
25. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, **समस्तीपुर** ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, का दर अपने अंचल स्तर से राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्वारण समिति के द्वारा अनुमोदित सामग्रियों के दर के आधार पर **MORD Data book analysis** के आधार पर विश्लेशण करते हुए मुख्यालय को सूचित करेंगे ताकि मुख्यालय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में उसका अनुमोदन कर **SOR** तैयार करने की दिशा में कार्रवाई की जा सके।
26. पूर्व में कराए गए कार्यों से प्राप्त सामग्रियों का लेखा में प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदनोपरान्त निर्माण में प्रयुक्त किया जाये।
27. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।
28. निर्माण में व्यवहृत सामग्री एम0ओ0एस0टी0 के अनुरूप हो।
29. यंत्र–संयत्र की जॉच कार्यपालक अभियंता, स्वय कर प्रमाण पत्र देंगे।
30. प्राक्कलन में प्रयुक्त तकनीकी आँकड़ों को स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमें भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।
31. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहां से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर न्यूनत दर का प्रावधान अधीक्षण अभियंता, सुनिश्चित करेंगे।
32. पुल के प्राक्कलन के साथ जलीय ऑकड़े, मिट्टी जॉच फल एवं बोरिंग चाट संलग्न नहीं रहने के कारण अ0अ0 द्वारा अनुमोदित नया दर विश्लेषण, पॉच वर्षीय के रख–रखाब का प्राक्कलन जो कार्यपालक अभियंता, से तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त नहीं होने के कारण औपबंधिक तकनीकी स्वीकृति दी गयी है। उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण 15 दिनों के अंदर कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि अंतिम रूप से तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा सके। विलम्ब के लिए आप जिम्मेवार होंगे।
33. अधीक्षण अभियंता अपने स्तर से दर विश्लेषण की जॉच कर लेंगे। यदि त्रुटि हो, तो अपने स्तर से सुधार कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

5/9/12

मुख्य अभियंता–3,पटना

परिशिष्ट–" क"

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, **दलसिंहसराय** के अधीन शीर्ष राज्य (नार्बाड ऋण संपोषित योजना) योजनान्तर्गत प्रावैधिक स्वीकृति प्रदत।

S. No.	Division	Name	Length Of Bridge (in m.)	Administrative Approval		T.S. Cost for Const. (Rs. in lakhs)
				A.A Cost (Rs.in lakhs)	Department Ref Lett. No. & Date	
1	2	3	4	5		6
1	दलसिंहसराय	Construction of H.L RCC Bridge Near Polytecnic College Kishanpur Tabka	54.16	548.910	4409/14.08.23	542.54
2	दलसिंहसराय	Construction of Bridge between gram panchayat and gram pakahi on baiti river	72.20	649.520	4409/14.08.23	637.58
3	दलसिंहसराय	Construction of HL Bridge in Bathua Harsinghpur Kothi Road on Jamuari River	58.12	582.560	4370/10.08.23	560.22
4	दलसिंहसराय	Construction of HL Bridge in Bahadurpur Amrauli Jagdishpur Road on Jamuari River	58.12	578.02	4370/10.08.23	552.49

5/9/23

मुख्य अभियंता–3
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार पटना।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य अचंल, समस्तीपुर

Email ID:-se.rwdsamatipur@gmail.com

पत्रांक 1183(अनु) दिनांक 29/8/23

प्रेषक, अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अचंल– समस्तीपुर।

सेवा में,

मुख्य अभियंता–3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अचंल– समस्तीपुर

Rajan 30.8.23

3984/CE3 30.8.23

विषय– **NABARD** राज्य योजनान्तर्गत पुलों का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति हेतु समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय का पत्रांक – 1087 दिनांक 21.08.23 एवं पत्रांक –1116 दिनांक – 25.08.23.

महाशय,

श्री विनय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक मे कहना है कि **Nabard** राज्य योजनान्तर्गत कुल चार पुलों का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रतिहस्ताक्षर कर समर्पित की जाती है। पुलो की सूची निम्नवत है:–

S.No	Name of Road	Block	Length (mit)	Total Cost. (Lac)
1	2	3	4	5
1	H.L Bridge in Bahadurpur Amrauli Jagdishpur Road on Jamuari River	Sarairanjaa	58.120	556.270
2	H.L Bridge in Bathua Harsinghpur Kothi Road on Jamuari River	Sarairanjaa	58.120	564.000
3	H.L Bridge in Polytechnic College Kishanpur Tabka	Bihutipur	56.160	541.650
4	H.L Bridge in Between Gram Panchyat and Gram Pakahi on Baiti River	Bihutipur	72.100	641.160

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन

29/8/23

for अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अचंल– समस्तीपुर